न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 715/2025 निर्णय दिनांकः 13.11.2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/963

गंगाराम पुत्र कुनणाराम जाति नायक निवासी कालूबास श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान ।

—प्रार्थी —

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र मोहनराम जाति सांसी निवासी कालूबास श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़
3. विक्रम पुत्र मगनलाल जाति हरिजन निवासी राजलदेसर जिला चुरू

—अप्रार्थीगण—

1. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. मोहम्मद आमीन अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 681 तादादी 14.0300 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 11/61 हिस्सा अवस्थित है। खेत खसरा नम्बर 681 तादादी 14.0300 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी अपने 11/61 हिस्सा की कृषि भूमि पर मौका पर दक्षिणी—पश्चिमी तरफ कब्जा काश्त हैं। वांदगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर विकास, सम्परिवर्तन इत्यादि में काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी न अप्रार्थी संख्या 1 से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि का विभाजन हेतू दिनांक 15.10.2024 को निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने विभाजन हेतू स्पष्ट इंनकार कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को धमकी दी मैं तुम्हे तुम्हारे कब्जे की भूमि से तुम्हे बेदखल कर दुगां प्रार्थी शांतिप्रिय व कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है ।वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी सहखातेदार है तथा प्रार्थी को विभाजन करवाने व उपयोग, उपभोग करने का अधिकार हासिल है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में है। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेदखल करने की धमकी दी गई है यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपनी धमकी में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी, अपूर्णिय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में है । अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दौराने दावा खसरा नम्बर 681 क्षेत्रफल 14.0300 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में व प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा उत्पन्न न करे न करावे तथा ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य न करे, न करावे जिससे प्रार्थी के वैध हितों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। प्रार्थी विक्रम पुत्र मगनलाल जाति हरीजन की ओर से मूलवाद में प्रार्थना में प्रार्थना पत्र मिशल पेशी में लेने का पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 पेश किया गया। जिसकी एक प्रति प्रार्थी/वादी अधिवक्ता को दिलवाई गई। मूलवाद में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त वाद/प्रार्थना पत्र में बतौर प्रतिवादीगण/ अप्रार्थी संख्या 03 के रूप में लाल स्याही से पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसकी एक प्रति वादी/ प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। जिस पर वादी/ अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की गई। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी कानूनन वादगत खेत खसरा की खातेदारी का अधिकार नहीं रखता है। वादगत खेत में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हिस्सा अवस्थित नहीं है वादगत खेत में प्रार्थी का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा – काश्त नहीं है और न ही प्रार्थी का कोई हिस्सा बनता है। वादगत खेत खसरा की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि वादगत खेत खसरा का एक वाद अनुवानी कमला देवी बनाम रामरिख आदि श्रीमान् एडीजे न्यायालय श्रीडूंगरगढ़ के न्यायालय में जैरकार था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्टे दिया हुआ था, स्टे के दौरान ही गंगाराम व रामचन्द्र ने सुशील कुमार से विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया था, उन विक्रय-पत्रों में गंगाराम व रामचन्द्र एक–दूसरे के गवाह हैं। गंगाराम व रामचन्द्र ने साठ–गांठ कर आपस में दुरभि संधि कर रखी है। मूल खातेदार रामरिख ने उक्त खेत खसरा भूमि विक्रय करने का एक इकरारनामा रामदेव पंवार के में दिनांक 15/03/2024 को निष्पादित किया जिसमें रामरिख के भतीजे सुशील कुमार ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किये। इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ने सुशील कुमार की फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से अपने नाम रजिस्ट्रीयां करवाई थी। जो विक्रय पत्र पूर्णतया कानूनन अवैध थे। अप्रार्थी विक्रम पुत्र मगन लाल हरिजन निवासी राजलदेसर, देवकीनन्दन पुत्र घांसीरा निवासी रणधीसर व रामदेव पंवार पुत्र आईदान धोबी निवासी सुजानगढ़ क वादगत खेत खसरा भूमि के पूर्व खातेदार/स्वामी रामरिख पुत्र भैराराम सांस निवासी कालूबास श्रीडूंगरगढ़ ने दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

10/07/2025 एवं 11/07/2025 को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के द्वारा वादगत खेत भूमि रोही श्रीडूंगरगढ़ खेत खसरा नम्बर 681 तादादी 14.0300 हैक्टेयर भूमि का विक्रय कर दिया था जिसके मुताबिक उक्त खसरा भूमि के रजिस्टर्ड खरीददार हैं। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र का तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ व हल्का पटवारी श्रीडूंगरगढ़ ने अप्रार्थी विक्रम, देवकीनन्दन व रामदेव पंवार के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं करने पर अप्रार्थी विक्रम ने एक अपील माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर के न्यायालय में पेश की जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर ने अप्रार्थी विक्रम के पक्ष में दिनांक 08/10/2025 को फैसला करते हुए नामान्तरण दर्ज करने के लिए आदेश जारी किया था। इस प्रकार वादगत खेत खसरा भूमि के खातेदार, मालिक अप्रार्थी विक्रम, देवकीनन्दन, रामदेवर पंवार है, न की प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 हैं । प्रार्थी वादगत खेत खसरा का खातेदार कृषक नहीं है केवलमात्र स्वयं को नाजायज लाभ पहुंचाने के आशय से मिथ्या व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। जब प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 का वादगत खेत खसरा भूमि पर कब्जा-अधिकार ही नहीं है तो विभाजन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं को नाजायज लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह वाद मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने न्यायालय ने गुमराह करते हुए साठ-गांठ कर वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को वादगत खेत खसरा भूमि का विभाजन करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी गंगाराम व अप्रार्थी संख्या 01 रामचन्द्र ने दिनांक 08/10/2025 न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 2025/10117 व अपील संख्या 2025/9971 पेश कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। मूल खातेदार रामरिख ने एफ.आई.आर. संख्या 315/2025 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ में कर रखी है जो जैर-अनुसंधान है। प्रार्थी ने केवलमात्र स्वयं को नाजायज लाभ पहुंचाने और अप्रार्थी विक्रम की क्रयशुदा खसरा भूमि से बेदखल और वंचित करने व तंग-परेशान करने के उद्देश्य से जानबूझकर यह वाद पेश किया है। जबकि वादगत खेत खसरा भूमि कानूनन खातेदार अप्रार्थी विक्रम, देवकीनन्दन व रामदेव पंवार हैं। प्रार्थी को किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि अप्रार्थी विक्रम वादगत कृषि भूमि का रजिस्टर्ड खरीददार होने के कारण सभी कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त अप्रार्थी विक्रम के पक्ष में है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ने साठ-गांठ व दुरभि संधि करके प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार होता है तो अप्रार्थी विक्रम को भारी एवं अपूर्तिय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अतः जवाब प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति अप्रार्थी विक्रम की ओर से मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मिथ्या एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने के कारण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मय खर्चा खारीज फरमाया जावे एवं प्रार्थी वे अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जावे कि खेत खसरा संख्या 681 तादादी 14.0300 हेक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ के खेत में अप्रार्थी विक्रम को किसी भी प्रकार का व्यवधान, बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना ही कोई ऐसा कृत्य करें या करवाये जिससे अप्रार्थी विक्रम के वैध हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 681 के खातेदार रामरिख पुत्र भैराराम सांसी ने जरिये मुख्त्यारनामा आम खसरा नम्बर 681 की भूमि वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की थी, तत्पश्चात् उक्त खसरा संख्या 681 में गंगाराम व रामचन्द्र के नाम से इन्तकाल दर्ज हो गया था और तब से उक्त खसरा नम्बर 681 की भूमि गंगाराम व रामचन्द्र के कब्जे, उपयोग तथा उपभोग में चली आ रही है। अप्रार्थीगण का उक्त खसरा की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई इन्तकाल दर्ज नहीं है और, ना ही किसी प्रकार का कब्जा, उपयोग व उपभोग है। खसरा नम्बर 681 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र का नामान्तरण दर्ज है। अप्रार्थीगण ने राजनीतिक दबाब के चलते उक्त खसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने का प्रयत्न किया जो खिलाफ कानूनन होने की वजह से तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दर्ज नहीं किया गया। अप्रार्थीगण ने धन–बल एवं राजनैतिक पहुंच के जरिये विधि की अवज्ञा करते हुए संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर राजनैतिक दबाबवंश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया जो कि खिलाफ कानून है। अप्रार्थीगण ने विधि की अवज्ञा करते हुए उक्त आदेश पारित करवाया है। वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र ने दिनांक 08.10.2025 को न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय के विरूद्ध अंपील राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील संख्या 2025/10117 व अपील संख्या 2025/9971 पेश कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा उक्त अपीलों में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 681 की भूमि के कोई रिकार्डेड खातेदार नहीं है। खसरा नम्बर 681 के रिकार्डेड खातेदार वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र है इनके ही कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग में खसरा नम्बर 681 की भूमि चली आ रही है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 681 के रिकार्डेड खातेदार नहीं है और ना ही खसरा नम्बर 681 की भूमि पर उनका कब्जा, उपयोग एवं उपभोग है । प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का है। विभाजन का दावा भूमि के रिकार्डेड खातेदारों के मध्य ही चल सकता है। अप्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर 681 के कोई रिकार्डेड खातेदार नहीं है। अगर अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार है तो सर्वप्रथम उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानी होगी जिसके लिए उन्हें घोषणात्मक दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय श्रीमान् के समक्ष लम्बित उक्त दावा केवलमात्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का है। खसरा संख्या 681 रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ के रिकार्डेड खातेदार रामरिख पुत्र भैराराम सांसी ने जरिये अपने मुख्त्यारआम के खसरा नम्बर 681 की भूमि को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करके वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की थी जिस पर वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया और उक्त गंगाराम व रामचन्द्र का ही कब्जा, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। रामरिख द्वारा जरिये मुख्त्यारआम के वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित करवाया हुआ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आज भी विद्यमान है और उसी के आधार पर वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम उक्त भूमि पर नामान्तरण दर्ज हुआ है। अगर रामरिख को उक्त विक्रय पत्रों के सम्बन्ध में कोई एतराज होता तो वह सक्षम न्यायालय में उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने के लिए कानूनी कार्यवाही अमल में लाता परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही रामरिख द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है इससे भी यह साबित है कि वादी एँवं प्रतिवादी (गंगाराम व रामचन्द्र) के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र रामरिख की पूर्ण सहमति एवं सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करके ही निष्पादित करवाया गया है जो आज भी सही एवं विद्यमान है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या खेत खसरा नंबर 681 रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ के संबंध में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के निर्णय दिनांक 08.10.2025 की अपील वादी गंगाराम व प्रतिवादी रामचन्द्र ने दिनांक 08.10.2025 को न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय के विरूद्ध अंपील राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील संख्या 2025/10117 व अपील संख्या 2025/9971 पेश कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें इस न्यायालय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested